JPD-6/333

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक ज.वि.वि.नि./मु.ले.(एटीआर)/राजस्व/प. /प्रे.821/ दिनांक 20-5-11

आदेश

वर्ष 2010-11 में की गई राजस्व वसूली के प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया कि राजस्व वसूली में प्रगति लाना आवश्यक है।

तदनुसार, सभी संबंधितो को निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते है।

1 राजस्व वसूली अभियान (अप्रेल, 2011) में भी जारी रहेगा।

2 अवधि के दौरान पूर्व में उपलब्ध करवाये गये, अतिरिक्त वाहनो एवं श्रमिकों की सुविधा भी यथावत जारी रहेगी।

3 संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दोषी उपभोक्ताओं (राजकीय विद्युत संबंधो के अतिरिक्त) का विद्युत संबंध भौतिक रूप से विच्छेद कर दिया जाय।

4 दुरूपयोग की सम्भावनाओं की रोकथाम हेतु, संबंधित अधिकारी विद्युत संबंध विच्छेदित परिसरो की समय-समय पर आकस्मिक जाँच करेंगे।

5 चूंकि प्रमुख शासन सचिव (PHED), राजस्थान सरकार द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को विद्युत वितरण निगमों की समस्त बकाया राशि के भुगतान का निर्देश पूर्व में ही प्रसारित किया जा चुका है, अतः PHED के विरूद्ध बकाया राशि (विद्युत बिल या undertaking) की वसूली नये बजट प्रावधानों से करने हेतु सभी सम्भव प्रयास किये जाये।

6 राज्य सरकार के आदेशानुसार स्थानीय निकायों के रोड लाईटो के बिलो की राशि का उनके द्वारा वर्ष 2009-10 में उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा की सीमा तक ही समायोजित किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में स्थानीय निकायों के PSL श्रेणी के विद्युत संबंधों पर भी भारी बकाया राशि सम्भावित है। अतः इस बकाया की वसूली के साथ ही स्थानीय निकायो की अन्य श्रेणीयों में बकाया रही राशि की वसूली हेतु सभी संभव प्रयास किये जाये।

7 PHED एवं स्थानीय निकायों के अतिरिक्त पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य राजकीय विभागों के विरूद्ध भी विद्युत

बिलों की राशि बकाया हो सकती है। अतः संबंधित विभागों के समकक्ष अधिकारियों से सम्पर्क कर बकाया वसूली हेतु सभी सम्भव प्रयास किये जायें।

8 दिनांक 31.03.2011 को सभी राजकीय विभागों (सार्वजनिक प्रकाश एवं स्थानीय निकायों की अन्य श्रेणियों सहित) के विरुद्ध बकाया राशि की विभागानुसार सूचियां बनाई जायेगी तथा इन सूचियों में माह अप्रेल, 2011 में वसूल की गई राशि को दर्शाया जायेगा एवं शेष रही बकाया राशि का कारण सहित विवरण दर्ज किया जायेगा एवं यह सूचियां सभी सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ताओ द्वारा दिनांक 07.05.2011 तक निगम मुख्यालय को उपलब्ध करवायी जायेगी।

अतः समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15 मई, 2011 तक अपनी पूर्ण योग्यता एवं क्षमता का श्रेष्ठ प्रदर्शन करें।

(कुलदीप रांका)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
जयपुर विद्युत वितरण निगम
लि०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर / जोधपुर वि.वि.नि.लिमिटेड, अजमेर/जोधपुर।
2. मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता, ( ), जयपुर डिस्कॉम, जयुपर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, ( ), जयपुर डिस्कॉम, जयुपर।
4. अधीक्षण अभियंता, ( ),जयपुर डिस्कॉम, जयुपर/...........को भेजकर निवेदन है कि इस आदेश की प्रति सभी अधीनस्थ अधिकारियों (कनिष्ठ अभियन्ता स्तर तक) को प्रदान करवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, ( ), जयपुर डिस्कॉम, जयुपर।
6. तकनिकी सहायक, अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयुपर।
7. निजी सहायक, निदेशक ( ), जयपुर डिस्कॉम, जयुपर।
8. अधीक्षण अभियंता (IT), जयपुर डिस्काम, जयपुर से निवेदन है कि आदेश को जयपुर डिस्काम की Website पर upload करने का कष्ट करें।

मुख्य लेखाधिकारी
(लेखा, कराधान एवं राजस्व)